



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-8

संख्या-1 / 1361770 / 2026

लखनऊ: दिनांक: 11-06-2026

सूचना

चूंकि राज्य सरकार, गाजियाबाद विकास क्षेत्रान्तर्गत, गाजियाबाद महायोजना-2031 में संशोधन जैसा कि नीचे अनुसूची में अंकित है, करना चाहती है,

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित अधिनियम)-1974 द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना जन सामान्य से प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आपतियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित की जाती है। सभी आपतियां एवं सुझाव उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को संबोधित और लिखित रूप से 03 प्रतियों में प्रेषित किए जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपतियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस सूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर प्राप्त होंगे।

अनुसूची

क्र० सं०	ग्राम का नाम	परगना	तहसील व जनपद का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	गाजियाबाद लोनी एवं मोदीनगर महायोजना 2031 के अनुसार भू-उपयोग	वर्तमान भू-उपयोग (शासन द्वारा दिनांक 06.02.2015 को अधिसूचित जोनल डेवलपमेंट प्लान जोन-1 गाजियाबाद के अनुसार)	प्रस्तावित भू-उपयोग
1	मोरटा	जलालाबाद	गाजियाबाद	343	0.3700	कार्यालय	कार्यालय	आवासीय
2	मोरटा	जलालाबाद	गाजियाबाद	345	1.2050			
कुल क्षेत्र					1.5750 (हे०)			

प्रमुख सचिव

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, [@GdaGhaziabad](https://www.facebook.com/GdaGhaziabad) [@gdagz](https://www.instagram.com/gdagz)
हेल्पलाइन 0120-4418 384, व्हाट्सएप: 9990988004 वेबसाइट: www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प